

न्यायालय-सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आप. प्रक. क.-853/2015
 संस्थित दिनांक-07.09.2015
 फाईलिंग नं.-234503009812015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

दबंग उर्फ राजेश उर्फ जोहरसिंह पिता कुवरसिंह हिवारे, उम्र 53 साल,
 जाति नगारची निवासी ग्राम सरईटोला टिंगीपुर, थाना मलाजखण्ड,
 हाल मुकाम नान्हू पवार, निवासी मोहगांव का मकान जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपी**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-22/03/2016 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324, 506(भाग-2) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-29.11.2014 को शाम के 06.30 बजे वार्ड नम्बर 15 पेट्रोल पम्प के पीछे परधानी मोहल्ला बैहर में लोकस्थान पर फरियादी गुल्लु उर्फ प्रवीण तेकाम को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य दूसरे सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं तेजधार ब्लेड को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुये आहत गुल्लु उर्फ प्रवीण तेकाम को तेजधार ब्लेड से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी गुल्लु उर्फ प्रवीण तेकाम ने आरक्षी बैहर में दिनांक-29.11.2014 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम परधानी मोहल्ला बैहर में रहता है। उक्त दिनांक-29.11.2014 को शाम के करीब 06.30 बजे वह लताबाई के यहां पेट्रोल के पीछे दारु पी रहा था तभी एक अज्ञात व्यक्ति जिसे वह नहीं पहचानता, वहां अचानक आया और उसे माँ-बहन की गन्दी-गन्दी गाली देकर हाथ-मुक्के से मारपीट करने लगा और

जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गया। अज्ञात आरोपी के मारने से उसे बांये आंख पर दाहिने हाथ की कलाई और बांये तरफ पसली में चोट खरोंच आई है। घटना लताबाई, कालू तेकाम ने देखी सुनी है। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र बैहर में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-205/14, धारा-294, 323, 506 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस के द्वारा घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया। गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना के दौरान प्रार्थी की याददाश्त ताजी होने पर अज्ञात व्यक्ति का नाम दबंग होना बताया एवं प्रार्थी एवं साक्षी ने ब्लेड से चोट पहुंचाया जाना बताया। विवेचना के दौरान आरोपी पर अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 का ईजाफा कर के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 324, 506 के अन्तर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324, 506(भाग-2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत गुल्लु उर्फ प्रवीण तेकाम ने आरोपी से स्वेच्छया राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506(भाग-2) के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा शेष अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 का विचारण पूर्ण किया गया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के कथन लेख किये गये। आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना बताया है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1- क्या आरोपी ने दिनांक-29.11.2014 को शाम के 06.30 बजे वार्ड नम्बर 15 पेट्रोल पम्प के पीछे परधानी मोहल्ला बैहर में तेजधार ब्लेड को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुये आहत गुल्लु उर्फ प्रवीण तेकाम को तेजधार ब्लेड से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5- फरियादी/आहत गुल्लू उर्फ प्रवीण तेकाम (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके कथन से लगभग एक डेढ़ वर्ष पूर्व शाम के लगभग सात-आठ बजे की है। घटना के समय वह

लताबाई के घर पर था तभी आरोपी वहां पर आया और उसे शराब के नशे में मौं-बहन की गन्दी-गन्दी गाली देते हुये हाथ से मारपीट करने लगा तथा उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना बैहर में की थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका ईलाज नहीं करवाया था। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लेख नहीं किये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने सेविंग करने की ब्लेड से दाहिनी कलाई पर मार दिया था एवं उसने आरोपी के द्वारा ब्लेड से दाहिनी कलाई पर मारने वाली बात पुलिस कथन प्रदर्श पी-3 में बतायी थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी से उसका स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि राजीनामा होने के कारण वह आरोपी के द्वारा ब्लेड से मारने वाली बात को छुपा रहा है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसे ब्लेड से नहीं मारा था। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्षी ने स्वयं आहत होते हुये भी अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

6— साक्षी राजेन्द्र (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी को जानता है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके कोई बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने उसके सामने गुल्लु उर्फ प्रवीण तेकाम को मौं-बहन की गन्दी-गन्दी गालिया दी थी एवं प्राथी गुल्लु उर्फ प्रवीण के द्वारा समझाने पर आरोपी ने प्रार्थी गुल्लु उर्फ प्रवीण के साथ मारपीट की थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि आरोपी ने उसके सामने हाथ में रखी हुई ब्लेड से गुल्लू उर्फ प्रवीण के दाहिनी कलाई में मारा था एवं आरोपी ने उसके सामने जान से खत्म करने की धमकी दी थी। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी-4 का कथन दिया था। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

7— अनुसंधानकर्ता अधिकारी लखन भिमटे (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-30.11.2014 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के

पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-205/14, धारा-294, 324, 506 भा.दं.वि. की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर प्रार्थी गुल्लु उर्फ प्रवीण तेकाम की निशानदेही पर मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-07.09.2015 को स्थान पेट्रोल पम्प के पीछे लताबाई के घर के पास आरोपी दबंग की साक्षी गुल्लु उर्फ राजेन्द्र, अजय धुर्वे के समक्ष आरोपी की तलाशी पंचनामा तैयार किया था जिसमें घटना के समय आरोपी ने प्रयुक्त की गई ब्लेड फेंकना बताया था। उक्त दिनांक को ही उसने आरोपी को साक्षी रामसिंह और राजवीर के समक्ष फार्मल गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिस पर उसके एवं आरोपी दबंग उर्फ जोहरसिंह नगारची के हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्षी ने अपनी साक्ष्य में उसके द्वारा की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में पेश किया है।

8- प्रकरण में अभियोजन ने फरियादी/आहत गुल्लु उर्फ प्रवीण तेकाम (अ.सा.1), साक्षी राजेन्द्र (अ.सा.2), अनुसंधानकर्ता अधिकारी लखन भिमटे (अ.सा.3) की साक्ष्य करायी गई है। इनके अलावा अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। फरियादी/आहत गुल्लु उर्फ प्रवीण तेकाम (अ.सा.1) ने स्वयं आहत होते हुये भी अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। मामले में मात्र अनुसंधानकर्ता अधिकारी लखन भिमटे (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में अनुसंधान के दौरान की गई कार्यवाही को समर्थन करी साक्ष्य के रूप में पेश किया है, किन्तु आहत गुल्लु उर्फ प्रवीण तेकाम (अ.सा.1) एवं साक्षी राजेन्द्र (अ.सा.2) के द्वारा अपनी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि घटना के समय आरोपी ने तेजधार ब्लेड को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुये आहत गुल्लु उर्फ प्रवीण तेकाम को तेजधार ब्लेड से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। ऐसी दशा में अन्य समर्थनकारी साक्ष्य का अधिक महत्व नहीं रह जाता है। प्रकरण में साक्ष्य के अभाव में आरोपी दबंग उर्फ राजेश उर्फ जोहरसिंह के विरुद्ध कथित अपराध तेजधार ब्लेड को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुये आहत गुल्लु उर्फ प्रवीण तेकाम को तेजधार ब्लेड से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की, का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

9- उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी दबंग उर्फ राजेश उर्फ जोहरसिंह ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में

तेजधार ब्लेड को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुये आहत गुल्लु उर्फ प्रवीण तेकाम को तेजधार ब्लेड से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतएव आरोपी दबंग उर्फ राजेश उर्फ जोहरसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)